

**[TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE-PART-IV (EXTRA ORDINARY)]**  
**GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**  
**WEIGHTS & MEASURES DEPARTMENT**

No.F.8/18/MWM/Legal/98/Part-IV/.....

Dated.....2013

**NOTIFICATION**

No. F.8/18/MWM/Legal/98/Part-IV/--- Whereas the draft of the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2012, was published as required under sub-section (4) of section 53 read with clause (q) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) in the Delhi Gazette on the 20<sup>th</sup> February, 2013 vide this Government's Notification No. F.8/18/MWM/Legal/98/Part-IV/3114 dated 20<sup>th</sup> February, 2013 inviting suggestions/objections from the persons likely to be affected thereby, within 30 days from the date of the publication of the said notification in the Delhi Gazette.

And wherea , the said Gazette was made available to the public on the 20<sup>th</sup> February, 2013.

And whereas, no suggestions/objections has been received with regard to the said draft rules.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 53 read with clause (q) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi in consultation with the Central Government, is pleased to make the following rules, namely:--

- 1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2012,  
  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
  
- 2. Amendment of Schedule IX.**- In the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, in Schedule IX, --
  - (i) in the item at Sr. No. 6, in the heading, after the word "Instruments", the words and bracket "(excluding weighbridges)" shall be inserted;
  - (ii) in the item at Sr. No. 7, in the heading, after the word "Instruments", the words and bracket "(excluding weighbridges)" shall be inserted;

(Contd.....2)

(iii) after the item No. 7, the following item shall be inserted, namely:-

**“7-A. Verification fee for weighbridge – Non automatic weighing instruments – Mechanical (analogue) and Electronic Class-III and Class-III:**

400 t	6000.00
300 t	5000.00
200 t	5000.00
150 t	4000.00
100 t	4000.00
80 t	4000.00
60 t	4000.00
50 t	4000.00
40 t	4000.00
30 t	4000.00
25 t	4000.00
20 t	4000.00
15 t	4000.00
10 t	1500.00
5 t	1000.00
3 t	800.00
2 t	800.00
1.5 t	800.00
1 t	800.00

By order and in the name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,

S. S. Yadav  
Secretary, Legal Metrology

(दिल्ली राजपत्र के भाग-चार असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

माप एवं तोल विभाग

117-118, सी-ब्लाक, विकास भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-02.

सं0फा0 8/18/एमडब्ल्यूएम/विधि/98/पार्ट-IV/

दिनांक: 2013

अधिसूचना

सं0फा0 8/18/एमडब्ल्यूएम/विधि/98/पार्ट-IV/ .- जबकि दिल्ली विधिक माप पद्धति (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2012 का प्रारूप इस सरकार की दिनांक 20 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या फा0 8/18/एमडब्ल्यूएम/विधि/98/पार्ट-IV/3114 के अनुसार 20 फरवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में विधि व माप पद्धति (प्रवर्तन) अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा (2) के खंड (थ) के साथ पठित धारा 53 की उपधारा (4) की यथापेक्षानुसार दिल्ली राजपत्र में उक्त अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये प्रकाशित किया गया था।

और जबकि उक्त राजपत्र जनता को 20 फरवरी, 2013 को उपलब्ध था;

और जबकि उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अब इसलिये विधिक माप पद्धति अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के खंड (क्यू) के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, केन्द्र सरकार से परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ .-** (1) इन नियमों को दिल्ली विधिक माप पद्धति (प्रवर्तन) संशोधन, नियमावली, 2012 कहा जा सकेगा।  
(2) यह दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।
2. **अनुसूची IX का संशोधन :-** दिल्ली विधिक माप पद्धति (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 की अनुसूची IX में, -
  - (i) क्रम संख्या 6 पर मद में, शीर्षक में "उपकरण" शब्द के पश्चात् "(धर्मकांटा रहित)" शब्दों तथा कोष्ठक को सन्निविष्ट किया जायेगा:

(ii) क्रम संख्या 7 पर मद में, शीर्षक में "उपकरण" शब्द के पश्चात् "(धर्मकांटा रहित)" शब्दों तथा कोष्ठक को सन्निविष्ट किया जायेगा।

(iii) मद संख्या 7 के पश्चात् निम्नलिखित मद सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-

**"7-क धर्मकांटा के लिये सत्यापन शुल्क-गैर स्वचालित तोलनयंत्र - मैकेनिकल (तुल्यरूप)  
एवं इलैक्ट्रॉनिक श्रेणी-III तथा IIII**

400टन	6000.00
300टन	5000.00
200टन	5000.00
150टन	4000.00
100टन	4000.00
80टन	4000.00
60टन	4000.00
50टन	4000.00
40टन	4000.00
30टन	4000.00
25टन	4000.00
20टन	4000.00
15टन	4000.00
10टन	1500.00
5टन	1000.00
3टन	800.00

2टन	800.00
1.5टन	800.00
1टन	800.00

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

( एस0एस0 यादव)

सचिव , विधिक माप पद्धति